20-10-27 | उभय पक्ष उ[illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] प्रदर्शित है। अत: पत्रावली दि[illegible] 12-1-24....को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

12-1-24 | पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र वाद पत्र को विड्रो करवाने हेतु पेश किया जिसे शा०प० किया गया। वकील वादी ने वाद पत्र विड्रो करने के बारे मे बताया कि वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया वादी एस्सी वर्ग का व्यक्ति है। और उसकी आराजियात पर स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति का कब्जा कर रखा है। ऐसे वाद पत्र को सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् का नही होकर तहसीलदार सा० माण्डल के क्षेत्राधिकार का है। इसलिए वादी उक्त वाद पत्र को विड्रो कर श्रीमान् तहसीलदार सा० माण्डल के यहा धारा 183 B R-T-Act प्रस्तुत करना चाहता है इसलिए उक्त वाद पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। तथा वकील वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया। वकील वादी का प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। वादी को उक्त वाद पत्र तहसीलदार माण्डल के यहा धारा 183 B. R-T-A.. प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के साथ ही वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा